

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प06(1)राज.6 / 03 / 46

जयपुर, दिनांक :- 20/9/21

समस्त जिला कलेक्टर  
राजस्थान।

परिपत्र

विषय:- पंचायत राज अधिनियम/नियमों के तहत भूमि रूपान्तरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक:-प06(1)राज.6 / 03 / 40 जयपुर दिनांक 20-11-07 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे पर दी गई आबादी भूमि के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है ऐसे प्रकरण भविष्य में राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग को भिजवाया जावे के निर्देश जारी किये गये

उक्त परिपत्र की अंतिम पंक्ति को विलोपित किया जाता है। उसके स्थान पर निम्न पंक्ति प्रतिस्थापित की जाती है:-

“ऐसे प्रकरण राजस्व विभाग को प्रेषित नहीं किये जावे।”

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- उप शासन सचिव

1. उप शासन सचिव (एम) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग।

उप शासन सचिव

17/9